①

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-212-एक/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-12-2016 पारित द्वारा तहसीलदार बीना, जिला सागर प्रकरण क्रमांक 8अ/68/2016-17

अब्दुल रज्जाक पिता अब्दुल अजीज
निवासी लुहरगुवां, तहसील बीना जिला सागर म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन ....अनावेदक

श्री डी.एस. चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए.के. निरंकारी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बीना, जिला सागर द्वारा पारित दिनांक 28-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प.ह.न. 51 मौजा इटावा रा.नि.म. बीना तहसील बीना ने इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया कि मौजा इटावा प.ह.न. 51 रा.नि.म. बीना स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 410 रकबा 0.23 हे. में से 0.04 हे. पर से आवेदक द्वारा किये गये अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना आवश्यक है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 8अ/68/2011-12 दर्ज कर दिनांक 28-12-2016 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा किये गये अतिक्रमण को 7 दिवस में हटाये जाने का बेदखली आदेश जारी किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार बीना के आदेश दिनांक 28-12-2016 का पैरा (1) व पैरा (3) निम्नानुसार है ।

पैरा (1) - प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प.ह.न. 51 मौजा इटावा रा.नि.म. बीना तहसील बीना ने इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया है कि मौजा इटावा प.ह.न. 51 रा.नि.म. बीना स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 410 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय रास्ता मद में दर्ज है का सीमांकन किया गया सीमांकन खसरा नंबर 415 (शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय) की बाउन्ड्री बाल की तरफ से किया गया जो रेल्वे ट्रेक की तरफ से किया गया जिसमें नक्शा अनुसार खसरा नंबर 412, 413, 414 की सीमाओं का मिलान सही पाया गया । तथा उसी के आधार पर खसरा नंबर 410 जो शासकीय रास्ता है की सीमाओं को चिन्हित किया गया जिसमें पाया गया कि खसरा नंबर 410 रेलवे की सीमा से मुख्य सड़क की ओर जाते हुये इस रास्ते पर कोहिनूर एंजोरा के संचालकगण रज्जाक एवं शादाब निवासी रामवार्ड बीना द्वार 1.90 जरीब लम्बाई तक कब्जा कर शादी हाल बना लिया है शादी हाल के संचालकों द्वारा रास्ते की भूमि पर 0.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कब्जा किये हुये है शादी हाल खसरा नंबर 410 के अतिरिक्त खसरा नंबर 408 में भी निर्मित है खसरा नंबर 408 की उक्त भूमि का भूमिस्वामी द्वारा आवासीय डायवर्सन कराया गया है, परंतु शादी हाल संचालकों के द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 410 पर किये गये बेजा कब्जा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना आवश्यक है । हल्का पटवारी द्वारा शादी हाल के संचालकों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को लाल स्याही से हटाया गया है ।

पैरा (3) - हल्का पटवारी इटावा द्वारा पुनः इस आश्य का प्रतिवेदन पेश किया है कि प.ह.न.-51 मौजा इटावा रा.नि.म. बीना की भूमि खसरा नंबर 410 रकबा 0.23 हे. में से 0.04 हे. पर अब्दुला रज्जाक पिता अब्दुल अजीज निवासी राम वार्ड बीना द्वारा शादी हाल बनाकर अतिक्रमण किया गया है जो शासकीय आम रास्ता पर है जिसे आम जन की सुविधा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से हटाया जाना आवश्यक है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-12-2016 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है ।

(आर.के. जैन) 3/7/18

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर